बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

अधि0 सं0–प्र02/विविध बैठक–07/2014 02   पटना, दिनांक 31/03/2015

उद्योग विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 301 दिनांक–26.02.2014 के अनुसार विद्युत अनुदान राशि का लाभ उन्हीं करघा बुनकरों को दिया जाना है, जिन्हें बुनाई हेतु बिजली की आपूर्ति वास्तविक रूप में की गयी तथा विगत विद्युत विपत्र का भुगतान किया गया है । विद्युत करघा इकाईयों का अनुदान हेतु पंजीकरण तथा सत्यापन विद्युत करघा इकाईयों/बुनकरों द्वारा सही मानक में वस्त्रों के प्रकार मासिक उत्पादन, हस्तकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण अधिनियम 1985 के प्रावधान एवं अन्य सरकारी निर्देशों का पालन किए जाने, पावर लूम एवं घरेलू विद्युत खपत के लिए अलग–अलग मीटर लगाए जाने, विद्युत करघा इकाईयों जहाँ मीटर नहीं लगा है उसमें अभियान चलाकर मीटर लगाने, विद्युत करघा इकाईयों का त्रैमासिक सत्यापन करने आदि से संबंधित चेक एवं बैलेंस रखने हेतु एक मैकेनिज्म तैयार करने हेतु निम्न रूप से समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, डिस्ट्रीब्यूशन ।
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ।
3. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उप समाहर्त्ता ।
4. बुनकर महासंघ के पद धारक अध्यक्ष अथवा सचिव ।

2. उक्त समिति के संयोजक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे ।

3. समिति उपरोक्त बिन्दुओं पर चेक एवं बैलेंस रखेगी तथा विद्युत करघा इकाईयों बुनकरों को प्रमाणित/सत्यापन करेगी ताकि सही विद्युत करघा बुनकरों को अनुदान की राशि प्राप्त हो सके तथा उनके द्वारा विद्युत करघा इकाईयों एवं घरेलू उपयोग हेतु अलग–अलग मीटर का व्यवहार किया जा सके, जिसके आधार पर अनुदान की राशि का भुगतान उन्हें मिल सके ।

4. इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी ई गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की व्यवस्था की जाय।

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 1089　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक– 31/03/2015

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मा0 मंत्री, ऊर्जा विभाग के आप्त सचिव/मा0 मंत्री उद्योग विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा0/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

31/3/15

सरकार के उप सचिव ।